

**मांग संख्या 31**  
**मुख्य शीर्ष 3451**

**मद क्रमांक 1**

राज्य में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणात्मक समीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञों का परामर्श लेने के लिए ` 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 3454**

**मद क्रमांक 2 एवं 3**

राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4 से 7**

छठवीं आर्थिक गणना के अंतर्गत मानदेय, भत्ता, कार्यालय व्यय आदि पर ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 400 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8 से 9**

राज्य सांख्यिकी संस्थान के अंतर्गत कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों के भुगतान एवं वाहनों के अनुरक्षण कार्य हेतु ` 6.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों के दौरे पर यात्रा भत्ता के लिए ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ` 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारी/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य के लिए ` 33.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 13**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श सेवाओं के लिए ` 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 14**

अनुरक्षण यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालयीन भवन के लिए ` 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।